संख्या-63/2019/1939 ई-2/तेरह-2019-165/2017

प्रेषक

आलोक कुमार द्विवेदी,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
गाजियाबाद।

आबकारी अनुभाग-2 लखनऊ::दिनांक 03 अक्टूबर, 2019

विषय:- मे0 इण्डो ग्रीक फूड प्रोडक्टस (ओ0पी0सी0) प्रा0लि0 पंजीकृत कार्यालय-9/104 आरेन्ज काउन्टी, अंहिसा खण्ड-1, इन्दिरापुरम गाजियाबाद द्वारा संचालित रेस्टोरेन्ट "क्लबएट" (CLUBATE) शाप नं0-15 प्रथम तल, इरोस मार्केट प्लेस(इरोस माल), शक्तिखण्ड-2, प्लाट नं0-2, इन्दिरापुरम गाजियाबाद को एफ0एल0-7 बार अनुज्ञापन स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन को संबोधित एवं आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज को पृष्ठांकित अपने पत्र संख्या-439/5/जि0आ0अ0/बार अनु0/क्लबएट/एफ0एल0-7/2018-19, दिनांक 02-11-2018 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि संदर्भगत प्रकरण में आपके उक्त संदर्भित पत्र दिनांक 02-11-2018 द्वारा उपलब्ध कराई गई जिला बार समिति की रिपोर्ट दिनांक 17-10-2018 में की गई संस्तुति तथा आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश के पत्र संख्या-जी-116/दस-लाइसेंस-63/FL6,7/CLUBATE /गाजि0/2019-20, दिनांक 16-09-2019 द्वारा उपलब्ध कराई गई संस्तुति के दृष्टिगत मे0 इण्डो ग्रीक फूड प्रोडक्टस (ओ0पी0सी0) प्रा0लि0 पंजीकृत कार्यालय-9/104 आरेन्ज काउन्टी, अंहिसा खण्ड-1, इन्दिरापुरम गाजियाबाद द्वारा संचालित रेस्टोरेन्ट "क्लबएट" (CLUBATE) शाप नं0-15 प्रथम तल, इरोस मार्केट प्लेस(इरोस माल), शक्तिखण्ड-2, प्लाट नं0-2, इन्दिरापुरम गाजियाबाद को एफ0एल0-7 बार अनुज्ञापन स्वीकृत किये जाने की अनुमति एतद्द्वारा इस शर्त के साथ प्रदान की जाती है कि प्रश्नगत रेस्टोरेन्ट में अग्निशमन यन्त्र पूर्णतः क्रियाशील अवस्था में रहेंगे तथा अग्निशमन विभाग द्वारा अनापत्ति में दी गई शर्तों का इकाई द्वारा पालन किया जायेगा। साथ ही प्रश्नगत रेस्टोरेन्ट द्वारा सी0सी0टी0वी0 कैमरे एवं हैंड हेल्ड मेटल डिटैक्टर से सुसज्जित सुरक्षाकर्मियों की समुचित/पर्याप्त व्यवस्था की जायेगी।

तद्नसार कृपया अग्रतर कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(आलोक कुमार द्विवेदी)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या-63/2019/1939(1)ई-2/तेरह-2019 तद्दिनांक

उपर्युक्त की प्रति आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज के पत्र संख्या-जी-116/दस-लाइसेंस-63/FL6,7/CLUBATE/गाजि0/2019-20, दिनांक 16-09-2019 के संदर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

आज्ञा से,

(आलोक कुमार द्विवेदी)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।